निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 पौष 1942 (श0)

(सं0 पटना 973) पटना सोमवार 28 दिसम्बर 2020

सं० 27/आरोप–01–86/2019–12043/सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

16 दिसम्बर 2020

श्री कुमार अनुज, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1224/2011, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर, सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई के विरूद्ध सैंडिस कम्पाउन्ड स्टेडियम परिसर में कराये गये कार्यों के लिए कोई प्राक्कलन, निविदा आदि प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने, अपने पद का दुरूपयोग कर बगैर समिति की बैठक आयोजन के एवं सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के स्टेडियम में सिविल निर्माण संबंधी कार्य करने, जिससे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होने तथा अवैध निर्माण संबंधी कार्य कराने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

3. विभागीय पत्रांक–739 दिनांक–15.01.2018 द्वारा श्री अनुज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु श्री अनुज द्वारा सैंडिस कम्पाउन्ड से संबंधित अभिलेख/कागजात की मांग की गयी।

4. विभागीय पत्रांक–4332 दिनांक–03.04.2018 द्वारा वांछित कागजात जिला पदाधिकारी, भागलपुर से स्वयं प्राप्त कर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश श्री अनुज को दिया गया तथा प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, भागलपुर को देते हुए सैंडिस कम्पाउन्ड से संबंधित अभिलेख/कागजात श्री अनुज को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं स्मारित भी किया गया किन्तु श्री अनुज का स्पष्टीकरण विभाग को अब तक अप्राप्त है।

5. स्मारित किये जाने के बावजूद श्री अनुज द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवेदित आरोप के संबंध में श्री अनुज को कुछ नहीं कहना है।

6. जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत प्रस्तुत मामले की गहन जांच के लिये अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की विस्तृत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत श्री अनुज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

7. श्री अनुज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी होंगे।

8. श्री अनुज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 973-571+10-डी0टी0पी0

Website: http://egazette.bih.nic.in